न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0) हमीरपुर।
पीठासीन अधिकारी-(संजय कुमार गोंड), (उच्चतर न्यायिक सेवा)-UP06485

UPHM010055452023

Presented on : 12-10-2023
Registered on : 12-10-2023
Decided on : 07-09-2026

Sessions Case/2206/2023

राज्य बनाम **अर्जुन सिंह** पुत्र मोहनलाल
निवासी ग्राम कंधौली थाना मुस्करा,
हमीरपुर (उ०प्र०)।

मु0अ0सं0-832/2020
धारा-135 विद्युत अधिनियम
थाना-एन्टी पावर थेफ्ट,
जनपद-हमीरपुर।

निर्णय

1. अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र मोहनलाल के विरूद्ध थाना एन्टी पावर थेफ्ट, जिला हमीरपुर की पुलिस द्वारा धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अजय कुमार, अवर अभियन्ता द्वारा तहरीर प्रस्तुत करके इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई है कि दिनांक 18.08.2020 को समय लगभग 14:00 बजे उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार मैं अजय कुमार अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मुस्करा/इमिलिया, लाइन स्टाफ पंकज वर्मा एवं महेश कुमार संविदाकर्मी के साथ विद्युत चोरी रोको अभियान के तहत ग्राम कंधौली मुस्करा में अर्जुन सिंह पुत्र मोहन लाल निवासी कंधौली मुस्करा के घरेलू परिसर पर पहुॅचे तो पाया कि उक्त उपभोगकर्ता बिना किसी वैध संयोजन के पास के एल0टी0 पोल के बॉक्स से केबिल जोड़कर एल0एम0वी0-1 विधा में विद्युत का अवैध प्रयोग कर रहा था। मौके पर 02 कोर काली केबिल 06 हाथ काटकर सील मुहर कर चेकिंग रिपोर्ट संख्या-023/1222 भरी गयी।

3. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर अभियुक्त अर्जुन सिंह के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०-832/2020 अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया गया, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम में की गयी।

4. मामले के विवेचक ने विवेचना प्रारम्भ की तथा घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया, गवाहान के बयानात अंकित किये तथा बाद विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम का आरोप दिनांक 10.01.2025 को विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और परीक्षण की माँग की और पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गयी।

6. अभियोजन की ओर से साक्षी पी0डब्लू0–1 अवर अभियन्ता अजय कुमार को परीक्षित कराया गया।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 अवर अभियन्ता अजय कुमार ने साक्ष्य दिया है कि दिनांक 18.08.2020 को समय लगभग 14:00 बजे उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार वह अपने स्टाफ टी0जी0–2 पंकज वर्मा व महेश कुमार संविदाकर्मी के साथ विद्युत चोरी रोको अभियान, राजस्व वसूली एवं कटिया चेकिंग अभियान के तहत ग्राम कंधौली में पहॅुचे तो अर्जुन सिंह पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम कंधौली, थाना मुस्करा के परिसर को चेक किया तो पाया कि उक्त उपभोक्ता बिना किसी वैध संयोजन के एल0टी0 पोल के पास बॉक्स से केबिल जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपभोग करते पाये गये। उक्त साक्षी ने तहरीर **प्रदर्श क–1** को साबित किया है। उक्त साक्षी से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी।

7. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 अजय कुमार, अवर अभियन्ता को परीक्षित कराया गया। साक्षी ने अपने बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। तत्पश्चात बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिता को धारा 294 द०प्र०सं० के अन्तर्गत स्वीकार किया गया। अतः अभियोजन द्वारा अपनी साक्ष्य समाप्त की गयी।

8. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा कथन किया है कि गांव की पार्टीबन्दी के कारण फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। समस्त बकाया बिल जमा कर दिया है तथा सफाई साक्ष्य देने व अन्य कुछ कहने से इन्कार किया।

9. अभियुक्त अर्जुन सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं0–29ख, प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी उक्त वाद में अभियुक्त है, शमन शुल्क एवं राजस्व शुल्क विद्युत विभाग में जमा कर दिया है। अब कुछ भी शेष नहीं है, जिसका सत्यापन विद्युत विभाग से कराया जाना आवश्यक है। अतः बाद सत्यापन मुकदमा शमन करने की याचना की गयी है। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा रसीदे एवं विद्युत वितरण खण्ड राठ द्वारा जारी पत्रांक सं0–1731 दिनांकित 09.08.2024 पत्रावली में दाखिल की गयी हैं।

10. आवेदक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची से पत्रावली पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा जारी पत्रांक सं0–1731 दिनांकित 09.08.2024 एवं शमन शुल्क रसीद सं0–366164159798 मुव0–2000/–रू0 दिनांकित 09.08.2024 तथा राजस्व निर्धारण रसीद सं0–336614334419 मुव0–8,058/–रू0 दिनांकित 09.08.2024 की प्रतियॉ पत्रावली पर दाखिल की गयी हैं।

11. उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

12. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 अजय कुमार, अवर अभियन्ता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अर्जुन सिंह पुत्र मोहनलाल द्वारा अभियोग से सम्बन्धित शमन शुल्क मुव0–2000/–रूपये एवं राजस्व निर्धारण की धनराशि मुव0–8,058/–रूपये दिनांक 09.08.2024 को जमा कर दिया है। जिसकी रसीदे पत्रावली में कागज सं0–27क व 28क हैं तथा अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड राठ का पत्रांक सं0–1731 दिनांकित 09.08.2024 संलग्न है, जो कागज सं0–26क है जिसे उक्त साक्षी द्वारा प्रदर्श–ख–1 के रूप में साबित किया है और कथन किया है कि उपभोक्ता की तरफ से अब कोई विद्युत बिल बकाया नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि मामले में अभियुक्त द्वारा समस्त धनराशि जमा की जा चुकी है तथा मामला कम्पाउण्ड हो चुका है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसे मामले में जिसमें नियमानुसार समम शुल्क व राजस्व निर्धारण जमा कर दिया गया हो तो वहॉ पर कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी और न ही अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही आगे न्यायालय में चलाई जायेगी। इस प्रकार धारा 152 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत 135 विद्युत अधिनियम का अपराध शमनीय है तथा शमनिंग हेतु मुव0–2000/–रूपये एवं राजस्व निर्धारण मुव0–8,058/–रूपये अभियुक्त द्वारा स्वीकृत रूप से जमा किया जा चुका है। असेस्मेन्ट के उपरान्त यदि कोई देय शेष होता है तो अभियुक्त नियमानुसार उसको अदा करेगा। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस मत का है कि अभियुक्त आरोप अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **अर्जुन सिंह पुत्र मोहनलाल** को धारा 135 विद्युत अधिनियम एन्टी थेप्ट हमीरपुर के अरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते है और जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक–07.09.2026

(संजय कुमार गोंड)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(आ0व0अधि0), हमीरपुर।
(आई.डी. UP06485)

निर्णय/आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–07.09.2026

(संजय कुमार गोंड)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(आ0व0अधि0), हमीरपुर।
(आई.डी. UP06485)

Digitally signed by SANJAY KUMAR GOND
Date: 2026.09.07 15:28:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court